

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164 |

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1975/असाध 3, 1897

No 164 |

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1975/ASADHA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 24th June 1975

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Baggage Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Baggage (Amendment) Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Baggage Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2—
 - (i) the words “and wrist watch” shall be omitted;
 - (ii) after words “necessities of life”, the words “and a wrist watch not exceeding five hundred rupees in value” shall be inserted.
3. In rule 6 of the said rules—
 - (i) the words “and wrist watch”, in the two places where they occur, shall be omitted;
 - (ii) for the figures “500” and “1,000”, the figures “1,000” and “2,000” shall respectively be substituted.

[No. 67-Cus/F. No. 495/16/74-Cus-VI]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 24 जून, 1975

सा० का० नि० 341(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सामान नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सामान (संशोधन) नियम, 1975 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सामान नियम, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में—
 - (i) “और कलाई घड़ी” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) “जीवन की आवश्यकताओं” शब्दों के पश्चात् “और मूल्य में पांच सौ रुपये से अनधिक कलाई घड़ी” शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 6 में—
 - (i) “और कलाई घड़ी” शब्दों का, उन दोनों स्थानों में, जहाँ वे आए हैं, लोप किया जाएगा;
 - (ii) “500” और “1000” अंकों के स्थान पर, क्रमशः “1,000” और “2,000” शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 67-Cus/F. No. 495/16/74-Cus-VI]

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transfer of Residence Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Transfer of Residence (Amendment) Rules, 1975.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Transfer of Residence Rules, 1969, in the Explanation to rule 2, for the figures “5,000” and “1,000”, the figures “10,000” and “2,000” shall respectively be substituted.

[No. 68-Cus/F. No. 495/16/74-Cus-VI]

U. K. SEN, Under Secy.

सा० का० नि० 342(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निवास स्थानान्तरण नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम निवास स्थानान्तरण (संशोधन) नियम, 1975 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निवास स्थानान्तरण नियम, 1969 में, नियम 2 के सफ्टीकरण में, "5,000" और "1000" श्रृंखलाओं के स्थान पर क्रमशः "10,000" और "2,000" श्रृंखला रखे जाएंगे।

[सं० 68-Cus/F. No. 495/16/75-Cus-VI]

यू० के० सेन, अवर सचिव।

